UPBH010062862025

न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

उपस्थितः कविता निगम (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. CODE – UP6320

दाण्डिक निगरानी संख्या–388/2025

1– बेनी उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र रामदेव,

2– बच्चन उर्फ सवेन्द्र कुमार उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र रामदेव,

3– नीता उम्र लगभग 38 वर्ष पत्नी देवी,

4– मीरा उम्र लगभग 34 वर्ष पत्नी बेनी,

5– गोपाल उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र राम नरायन,

निवासीगण–ग्राम चहलार, थाना–कैसरगंज, जिला–बहराइच।

----------निगरानीकर्तागण

बनाम

1– उ०प्र० सरकार द्वारा डी.जी.सी., (क्रिमीनल), बहराइच।

2– श्रीमती संवारा देवी उर्फ राज कुमारी उम्र लगभग 40 वर्ष पत्नी राम नरेश, निवासी–ग्राम चहलार, थाना–कैसरगंज, जनपद–बहराइच।

----------उत्तरदातागण।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण सं० 388/2025, मुकदमा संख्या 11645/2023, श्रीमती संवारा देवी उर्फ राजकुमार बनाम बेनी आदि अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 427 भा०दं०सं०, थाना–कैसरगंज, जिला–बहराइच, में न्यायिक मजिस्ट्रेट बहराइच द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.08.2025 के विरुद्ध संस्थित की गयी है।

2. निगरानीकर्तागण द्वारा अपनी निगरानी में मुख्य आधार यह लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2025 विधि एवं तथ्यों के दृष्टिकोण से निक्रिष्ट है, प्रतिपादित नहीं है, एवं निरस्त होने योग्य है। घटना संक्षिप्त के अनुसार परिवादिनी एक सीधी साधी गृहस्थ महिला है, विपक्षीगण दबंग पारिवारिक धन सम्पन्न व्यक्ति है। जो आये दिन परिवादिनी व उसके परिवार वालो को बेजा परेशान किया करते रहते है। परिवादिनी को पूर्व में भी कई बार मार पीट चुके है, जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर

Digitally signed by KAVITA NIGAM
Date: 2026.05.13 13:22:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियोग पंजीकृत कराया गया, किन्तु कोई कार्यवाही न होने के कारण विपक्षीगणों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है, जिस कारण विपक्षीगण परिवादिनी व उसके परिवार वालो को गाँव से उजाड़ देना चाहते है। दिनांक– 19.09.2022 को समय लगभग 02 बजे दिन में परिवादिनी घर पर अकेली थी, उपरोक्त विपक्षीगण लाठी डण्डा से लैस होकर परिवादिनी के घर पर चढ़ आये, और परिवादिनी व उसके परिवार वालो को मॉ बहन की भद्दी–भद्दी गालियाँ देने लगे, परिवादिनी आवाज सुनकर बाहर आयी, तथा गाली देने से मना किया तो उपरोक्त विपक्षीगण परिवादिनी को मारने के लिए दौड़ा लिए परिवादिनी अपनी जान बचाकर घर में घुसी तो उपरोक्त विपक्षीगण पीछे से दौड़कर घर में घुस गये, इतने में विपक्षी सं० 3 व 4 ने प्रार्थिनी/परिवादिनी का बाल पकड़कर घर के अन्दर कमरे में पटक दिया तथा उपरोक्त विपक्षीगण परिवादिनी को लात, मुक्का, थप्पड़ से मारने लगे, तथा घर गृहस्थी के सामान को तोड़ने फोड़ने लगे, परिवादिनी के शोर गुहार पर आस पास के लोग बचाने दौड़े तथा परिवादिनी की जान बचायी। जाते समय उपरोक्त विपक्षीगण बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे मु०–32,00/– रूपये नकद लूट लिये तथा परिवादिनी को कही जाने पर जान से मार देने की धमकी देकर भाग गये। परिवादिनी ने घटना की सूचना उसी दिन थाना हाजा पर दी, जिस पर थाना हाजा द्वारा कार्यवाही का आश्वासन दिया गया, किन्तु विपक्षीगण के प्रभाव के कारण परिवादिनी का मुकदमा आज तक नही दर्ज हुआ। जिस वजह से विवश होकर परिवादिनी ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद बहराइच को जरिये डाक दिनांक–15.10.2022 को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नही हुई। परिवादिनी विवश होकर न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष परिवाद हाजा प्रस्तुत कर रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 01.08.2025 पारित करते समय पत्रावली का सम्यक अवलोकन न कर आदेश पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है, एवं निरस्त होने योग्य है। परिवादिनी के 200 सी०आर०पी०सी० एवं अन्य साक्षियों के 202 सी०आर०पी०सी० के बयान में काफी विरोधाभास है, तथा साक्षी राम नरेश पुत्र साधू के 202 सी०आर०पी०सी० के बयान में मजिस्ट्रेट महोदय, का हस्ताक्षर भी नही है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2025 विधि विरुद्ध है, एवं निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी पुनरीक्षणकर्ता सं० 1 द्वारा पूर्व में दिनांक 10.04.2019 को उत्तरदाता सं०– 2 के पति राम नरेश के विरुद्ध मु०नं०–1036/2019 धारा 323,507,452 आई०पी०सी० बेनी प्रसाद यादव बनाम राम नरेश आदि थाना कैसरगंज प्रस्तुत किया था, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2021 को उत्तरदाता सं०–2 एवं पति राम नरेश व पुत्र संदीप यादव, अमरेश यादव तलब हुए, आदेश दिनांक 02.03.2021 में सुलह हेतु बराबर दबाव बनाने लगे, पुनरीक्षण सं० 1 द्वारा मना करने पर फर्जी तथ्यों के आधार पर उत्तरदाता सं०–1 द्वारा उक्त परिवाद प्रस्तुत

किया है, जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2025 को पारित किया गया है, आदेश की प्रति संलग्न हैं। पुनरीक्षण अन्तर्गत अवधि है।

3. निगरानीकर्तागण द्वारा अपने निगरानी के कथन के समर्थन में फेहरिस्त के माध्यम से नकल आदेश दिनांकित 01.08.2025, नकल बयान राम नरेश बयान 202 सी.आर.पी.सी. प्रमाणित प्रति, छायाप्रति आदेश पारित द्वारा उपजिलाधिकारी, कैसरगंज, छायाप्रति राम नरेश बनाम ओंकार आदेश दिनांकित–13.09.2023, छायाप्रति प्रमाणित गुरूप्रसाद बनाम रामसूरत व आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न की है।

4. निगरानीकर्तागण एवं प्रत्यर्थिनी सं०–2 के विद्वान अधिवक्तागण व प्रत्यर्थिनी सं०–1 उ०प्र० राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), बहराइच को सुना तथा मूल पत्रावली एवं पुनरीक्षण पत्रावली का सम्यक परीशीलन किया।

5. पुनरीक्षण न्यायालय को पुनरीक्षण के निस्तारण में विधिक रुप से इस तथ्य पर विचार करना होता है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है तथा क्षेत्राधिकार से परे एवं अनियमितता का प्रयोग कर पारित किया गया है। यदि पारित आदेश में उक्त विधिक त्रुटि स्पष्ट होती है तब ही उन परिस्थितियों में पुनरीक्षण न्यायालय पारित आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है।

6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद पत्र परिवादिनी के बयान अंतर्गत धारा–200 दं०प्र०सं० परिवादिनी के परीक्षित साक्ष्यों पी.डब्ल्यू०–2 गुरूप्रसाद व पी.डब्ल्यू०–3 राम नरेश के बयान अंतर्गत धारा–202 दं०प्र०सं० दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण/निगरानीकर्तागण बेनी, बच्चन, नीता, मीरा व गोपाल को विचारण हेतु अंतर्गत धारा–323, 504, 506, 427 भा०दं०सं० में तलब किया गया है। आलोच्य आदेश दिनांकित–01.08.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत पुनरीक्षण निगरानीकर्तागण द्वारा दाखिल किया गया है।

7. परिवाद कथानक के अनुसार "दिनांक 19.09.2022 को समय लगभग 02 बजे दिन में परिवादिनी घर पर अकेली थी। विपक्षीगण लाठी, डण्डा से लैस होकर घर पर चढ़ आये तथा परिवादिनी व उसके परिवार वालों को मां–बहन की गालियां देने लगे। परिवादिनी ने गाली देने से मना किया तो विपक्षीगण परिवादिनी को मारने के लिए दौड़ा लिए। परिवादिनी अपनी जान बचाकर घर में घुस गई तो विपक्षीगण घर में घुस गए और विपक्षीगण परिवादिनी को लात, मुक्का, थप्पड़ से मारने लगे तथा घर गृहस्थी का सामान तोड़ फोड़ करने लगे। परिवादिनी के शोर पर आसपास के लोग बचाने दौड़े तथा परिवादिनी की जान बचाई। जाते समय विपक्षीगण बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे 3200/–रूपये नकद लूट लिये तथा

परिवादिनी को कहीं कहने पर जान से मार देने की धमकी देकर भाग गये।"

8. परिवादिनी/प्रत्यर्थिनी सं०–2 द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा–200 दं.प्र.सं. में कथन किया है कि "दिनांक–19.09.2022 को समय 02 बजे दिन में मैं घर पर अकेली थी, तब विपक्षी बेनी, बच्चन, नीता, मीरा, गोपाल ये लोग मेरे दरवाजे पर चढ़ आए और मुझे और मेरे परिवार वालों को गन्दी–गन्दी गाली देने लगे। मैं बाहर आई और गाली देने से मना किया तो ये लोग मारने के लिए दौड़ा लिए। मैं अपनी जान बचा कर अपने घर में घुस गई तो ये लोग भी घर में घुस गए। इतने में नीता और मीरा ने मेरा बाल पकड़ कर जमीन पर पटक दिया तथा सब लोग लात–मुक्का, थप्पड़ से मारने–पीटने लगे और घर का सामान तोड़–फोड़ दिए। मेरे शोर मचाने पर आस–पास के लोग इकट्ठा हो गए और जान बचाई। विपक्षीगण जान से मार देने की धमकी देते हुए भाग गए।"

9. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 01.08.2025 द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण/निगरानीकर्तागण बेनी, बच्चन, नीता, मीरा व गोपाल को विचारण हेतु अंतर्गत धारा–323, 504, 506, 427 भा०दं०सं० में तलब किया गया।

10. निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि साक्षी राम नरेश पुत्र साधू के 202 सी०आर०पी०सी० के बयान में मजिस्ट्रेट महोदय के हस्ताक्षर भी नहीं है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–01.08.2025 विधि–विरुद्ध है। विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पी.डब्ल्यू–2 गुरूप्रसाद व पी.डब्ल्यू–3 राम नरेश के बयान अंतर्गत 202 सी०आर०पी०सी० के बयान एक ही दिन दिनांक–10.08.2023 को अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पी.डब्ल्यू–2 के बयान अंतर्गत धारा–202 सी०आर०पी०सी० एवं आदेश पत्रक दिनांकित–10.08.2023 पर हस्ताक्षर किया गया है, परन्तु पी.डब्ल्यू–3 राम नरेश के बयान अंतर्गत धारा–202 सी०आर०पी०सी० पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, जो कि मात्र एक प्रक्रियात्मक त्रुटि प्रतीत होती है। मात्र पी.डब्ल्यू–3 के बयान अंतर्गत धारा–202 सी०आर०पी०सी० पर हस्ताक्षर न होना, आलोच्य आदेश दिनांकित–01.08.2025 को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है।

11. विपक्षीगण/निगरानीकर्तागण को तलब किये जाते समय विद्वान विचारण न्यायालय साक्ष्य का कड़ाई से गुण–दोष का आदेश की अपेक्षा नहीं की जा सकती, न ही उससे यह अपेक्षा की जा सकती है कि इस सन्दर्भ में विस्तार आदेश पारित करे। विद्वान विचारण न्यायालय विपक्षीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाते हुये विचारण हेतु तलब किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपना निष्कर्ष परिवाद में उल्लिखित अभिकथनों में

परिवादिनी/प्रत्यर्थिनी सं०–2 के बयान अन्तर्गत धारा–200 द०प्र०सं० व गवाहान पी.डब्ल्यू०–2 गुरू प्रसाद व पी.डब्ल्यू०–3 राम नरेश के बयान अन्तर्गत धारा–202 द०प्र०सं० के अवलोकन के पश्चात् दिया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है।

12. अतः उक्त विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय के मत में आलोच्य आदेश में कोई तात्विक अनियमितता अथवा विधिक त्रुटि कारित न करने के कारण विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। योजित पुनरीक्षण बलहीन है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता की निगरानी संख्या 388/2025, बेनी आदि बनाम सरकार उ०प्र० व अन्य, थाना–कैसरगंज, जनपद बहराइच **निरस्त** की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमा नं०–11645/2023, श्रीमती संवारा देवी बनाम बेनी आदि, थाना–कैसरगंज, जनपद–बहराइच में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.08.2025 पुष्ट किया जाता है।

विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु तत्काल विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाये।

निगरानीकर्ता सम्बन्धित विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.06.2026 को उपस्थित हो।

(कविता निगम)
दिनांकः 13–05–2026 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बहराइच।

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(कविता निगम)
दिनांकः 13–05–2026 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बहराइच।